



पत्रांक : 458

/ एम-15 ए / 24

दिनांक : 15-03.2024

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्यों के अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो निविदादाताओं एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कॉलम-8 पर अंकित खण्ड कार्यालयों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खोली जायेंगी।

निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर वित्तीय बिड अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेंगी।

क्र सं	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी	खण्ड का नाम-	बैंक खाता संख्या-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मझोला योजना सं0-4, भाग-2, मुरादाबाद में स्थित सेक्टर-9ए में निर्मित, आवंटन से अवशेष 1बी0एच0के0 एवं 2बी0एच0के0 फ्लैट्स (स्टिल्ट + 4) की विक्रयशीलता/ लोकप्रियता बढ़ाये जाने के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	27.80	0.56	04 माह	1500+ 18% GST	श्रेणी-V	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड रुहेलखण्ड-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, द्वितीय तल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मझोला योजना सं0-4, भाग-2, मुरादाबाद।	INDIAN OVERSEAS BANK LAJPAT NAGAR, MORADABAD A/C No. - 1555010000102 10 एवं IFSC Code :- IOBA0001555

निविदाओं से सम्बंधित विवरण:-

1	ई-निविदा के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि:-	दि0 16.03.2024
2	खण्ड द्वारा निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम तिथि:-	दि0 18.03.2024 (अपरान्ह 05:00 बजे तक)
3	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि:-	दि0 18.03.2024 (अपरान्ह 05:00 बजे से)
4	धरोहर राशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि:-	दि0 01.04.2024 (अपरान्ह 05:00 बजे से)
5	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि:-	दि0 02.04.2024 (अपरान्ह 05:00 बजे तक)
6	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि:-	दि0 03.04.2024 (पूर्वान्ह 12:00 बजे)

शर्त:-

- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रु0 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रु0 1/- का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता/फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य सभी कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त अलग से भुगतान किया जायेगा।

- 4- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जी0पी0डब्लू0-9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा।
- 5- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रण सूचना के कॉलम-9 पर उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी। निविदाओं से सम्बंधित उक्त विवरण अनुसार निर्धारित तिथि व समय तक डाली जानी होगी।
- 6- समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0लोक निर्माण विभाग की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।
- 7- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
- 8- कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 9- ई-निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर एवं निविदा प्रपत्र उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि ई-निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त बाह्य मिट्टी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र/रायल्टी की प्रति बीजकों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार बीजक से रायल्टी की कटौती की जायेगी।
- 11- ई-निविदा अपलोड करने से पूर्व ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन अवश्य कर लें। क्योंकि बाद में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 12- अनुबन्ध गठित करते समय ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।
- 13- निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बंधित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
- 14- निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बंधी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
- 15- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली-2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुमोदन गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
- 16- निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
- 17- शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि दो वर्ष हेतु कार्य की कुल लागत का 1 प्रतिशत की वारन्टी धनराशि रोकੀ जोयगी, जो निर्धारित अवधि के पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
- 18- ई-टेन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी के निविदादाता ही पात्र होंगे।
- 19- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति ऑकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित कार्य कम्प्लेटिव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 20- निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर दरें कम (Below) मानी जायेंगी।
- 21- यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।

- 22- यदि निर्माण कार्य की जाँच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार उससे की जायेगी।
- 23- निविदादाताओं/फर्म की निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत के सापेक्ष अवशेष सिक्योरिटी (जमानत धनराशि) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0 के रूप में, जोकि सम्बंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक हो, जमा करनी होगी।
- 24- शासनादेश संख्या-622/231-12-2012-2/आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल आफ क्वान्टिटी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत **below** तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक **below** पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मन्स गारन्टी एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0/ एन0एस0सी0 जो सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम बन्धक हो के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो, मुख्य अभियन्ता (म0) के कार्यालय आदेश सं0- 2033/अभि0अनु0/परफॉर्मन्स सिक्योरिटी/01 दिनांक 25.07.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में परफॉर्मन्स गारन्टी/जमानत धनराशि अनुबन्ध गठन के समय जमा कराना आवश्यक होगा।
- 25- ई-निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र (टी-4, टी-6), जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
- 26- शासनादेश संख्या-1345/86-2019 दिनांक 15.09.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लायी गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी।
- 27- शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करती है तो निर्धारित रायल्टी का पाँच गुना ठेकेदार के देयक से वसूली की जायेगी।
- 28- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 29- ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

raheh 15-03-24
(इं0 महेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्र सं0: 458

/ उक्त / 24

दिनांक:- 15-03-2024

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर/ प्रयागराज/वाराणसी/ लखनऊ/वृन्दावन/अवधविहार/कानपुर/बुंदेलखण्ड/मेरठ/मण्डोला/गाजियाबाद/आगरा/विद्युत/गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना वृत्त।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, रुहेलखण्ड- 01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि ई-निविदा सूचना में अंकित कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना में प्राविधानित मदों के सापेक्ष निविदा बी0ओ0क्यू0 एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र सम्बंधित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, रुहेलखण्ड- 02, 03 एवं 04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद/बरेली।
- 6- इन्चार्ज (कम्प्यूटर सेल), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मैसेज बोर्ड द्वारा इस अनुरोध के साथ कि ई-निविदा आमंत्रण सूचना को परिषद वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7- संगणक/नोटिस बोर्ड, रुहेलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद।

raheh
अधीक्षण अभियन्ता